न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 18/2018

बृजलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. बहादरराम उर्फ भादरराम पुत्र गंगाजल (मृतक)
2. विमला पत्नी ओमप्रकाश
3. भागवन्ती पत्नी पोलाराम
4. डाली पत्नी कृष्णलाल
5. सावित्री पत्नी चन्द्रभान
6. कलावंती पत्नी रामप्रताप

जाति जाट निवासी चक 46 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

7. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदारा राजस्व पदमपुर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पदमपुर
दिनांक 19.01.2018
उपस्थिति :—

श्री सतीश गौसांई अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पों. सं. 6
श्री महावीर धारणियां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 04.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादी/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज. काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि चक 12 आर.बी. के मु.नं. 24, 28, 29, 30 में 10.068है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तमाम भूमि अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थी के दादा गंगाजल से विरासतन में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/9 हिस्सा बनता है जिसे वह प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि को आगे खुर्द—बुर्द करने की फिराक में है। यदि ऐसा करने में वह सफल हो गया तो प्रार्थी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

निवेदन है कि उक्त भूमि के 1/9 हिस्से पर वाद के निर्णय तक रिसीवर नियुक्त किया जावे।

अप्रार्थी सं. 2 से 6 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण सदभावी क्रेता हैं। अप्रार्थी सं. 1 ने जरिये बैयनामा भूमि का बेचान कर दिया है। प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 19.01.2018 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि में अपीलांट 1/9 हिस्सा बनता है। उसके हिस्से को सुरक्षित रखते हुए उसे रहन, बैय न करने से पाबन्द किया जावे एवं 1/9 हिस्से पर रिसीवर नियुक्त किया जावे। अधी. न्यायालय ने प्रार्थी का प्रा.पत्र बिना किसी आधार के खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर. टी. 2009(1) पेज 141 की नजीर पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पों. सं. 2 से 6 जरिये बैयनामा क्रय की है। मौका पर रेस्पों. का कब्जा काश्त है। रेस्पों. अभिलिखित खातेदार हैं जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। यहां तक कि अपीलांट ने यह भी अंकित नहीं किया कि उसका 1/9 हिस्सा किस प्रकार क्लेम करता है। इसका आधार क्या है? अपीलांट ने रेस्पों. सं. 1 की मृत्यु काफी पूर्व हो जाने एवं अधी. न्यायालय की पत्रावली में यह तथ्य रिकार्ड पर आ जाने के बाबजूद भी एक मृतक व्यक्ति के विरूद्ध अपील पेश की है जो कि किसी प्रकार से विधि अनुसार नहीं है। अपीलांट रेस्पों. सं. 2 से 6 से अपना कोई हिस्सा क्लेम नहीं कर सकता। रेस्पों. सं. 2 से 6 बैयनामे के जरिये अभिलिखित खातेदार बने है। अधी. न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से माना है कि अपीलांट के पास अपनी पैतृक सम्पत्ति के हिस्से से अधिक भूमि पहले से ही है। अपीलांट के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। तद्नुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अपीलांट के पक्ष में नहीं है जबकि रेस्पों. के पक्ष में उनके बैयनामे के जरिये राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार अंकित होने से प्रथम दृष्टया केस है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन व चिन्तन किया गया तथा अधी. न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया एवं प्रस्तुत विधि दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि रेस्पों. सं. 2 से 6 की खातेदारी है। प्रार्थी/अपीलांट प्रकरण में विवादित भूमि को पैतृक सम्पत्ति बताकर उसमें अपना हिस्सा क्लेम कर रहा है जबकि गैरसायल रेस्पों. सं. 2 से 6 जरिये पंजीकृत बैयनामा से भूमि क्रय कर विवादित भूमि के अभिलिखत खातेदार हैं जिसके प्रथम दृष्टया प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलांट के पैतृक सम्पत्ति में हक सम्बन्धी तर्कों/अभिकथनों के सम्बन्ध में विनिश्चय अधी. द्वारा पक्षकारान के साक्ष्य सबूत के आधार पर मूल वाद में गुणावगुण पर किया जाएगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पों. सं. 1 का देहान्त हो गया है। यह तथ्य अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध था। अपीलांट ने इसके बाबजूद अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध अर्थात मृतक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। यहां अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा.पत्र में प्रकरण के गुणावगुण पर विनिश्चय नहीं किया जाकर प्रथम दृष्टया केस देखा जाना है। अधी. न्यायालय ने विवेचन में विवादित भूमि रेस्पों. सं. 2 से 6 द्वारा जरिये रजि. बैयनामा खरीद की हुई मानकर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं माना। इस न्यायालय के विनर्म मत में भी अधी. न्यायालय के इस विनिश्चय में हस्तक्षेप कर अभिलिखित खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उपर किये गये विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/12/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी